न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

राजस्व केम्प कोर्ट ग्रा. पं. मोहब्बतपुरा

पीठासीन अधिकारी :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 57/2017

1. जगदीश पुत्र मोहरीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी डिडावता, तह. फागी, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम
2. रमेशचन्द पुत्र भंवरलाल
3. महेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल
4. सावित्री देवी पत्नी विजयलाल

समस्त जातियान ब्राह्मण, निवासीयान डिडावता, तह. फागी, जिला जयपुर।

5. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. उपतहसीलदार माधोराजपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

:: निर्णय :: दिनांक :–19.06.2017

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी आराजी खसरा नम्बर 776 रकबा 2 बिस्वा गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम डिडावता तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है, जिसमे वादी का 2/5 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 4/15 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 4 का 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त हिस्सेअनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण एकमात्र तन्हा खातेदार काश्तकार है एवं उक्त हिस्से अनुसार उक्त चाह का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। विवादग्रस्त आराजीयात का वादी ने खसरा नम्बर 776 में से अपने 2/5 हिस्से के अलावा शेष हिस्सा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादीगण के पक्ष में दिनांक 03.05.2012 को कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 1571 दिनांक 05.05.2012 को प्रतिवादीगण के पक्ष में खोला जा चुका है लेकिन उक्त नामान्तकरण खुलने के पश्चात् राजकीय सहवन से उक्त भूमि के जमाबंदी में वादी का हिस्सा 2/5 के बजाय हिस्सा 2/3 गलत दर्ज हो गया है इसलिये उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी के हिस्सा 2/3 के स्थान पर हिस्सा 2/5 दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। वादी ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है। उक्त आराजयात का वादी 2/5 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन राजकीय कर्मचारीयो के सहवन से वादी का हिस्सा 2/5 की बजाय हिस्सा 2/3 गलत दर्ज हो गया है वादी को उक्त गलत दर्ज हिस्से की जानकारी राजस्व रिकार्ड की नकले बनवाने पर एवं पटवारी से जांच करवाने पर हुई। उक्त रिकार्ड की नकले निकलवाकर उक्त वाद प्रस्तुत किया है। जिसका राजस्व रिकार्ड में वादी का 2/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/15 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 4/15 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 4

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जाकर दुरूस्ती इन्द्राज किया जाना कानूनन आवश्यक है। अभी हाल ही में दिनांक 17.02.2017 को वादी ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका हिस्सा रिकार्ड में गलत दर्ज है जबकि सही हिस्सा 2/5 है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत् कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कारण दिनांक 17.02.2017 को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने व बैंक द्वारा लोन नही देने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादी का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 5 व 6 को लेण्ड होल्डर व रहन होने से एवं दावा दुरूस्ती इन्द्राज का होने से पक्षकार कायम किया गया है। वादी का वाद बाबत् घोषणा 1/रू0 व स्थाई निषेधाज्ञा 1/रू0 व 1/रू0 दुरस्ती इन्द्राज कुल 3/रू0 कोर्ट फीस स्टाम्प पर प्रस्तुत है। जो रा0टी0एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त है। पक्षकारान का निवास व विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से श्रीमान् को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार है। वादी/प्रार्थी है कि :— वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावें कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित अनुसार वादी सम्पूर्ण आराजी में 2/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है एवं वादी का राजस्व रिकार्ड में 2/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 4/15 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 4 का 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती की जाकर पालना बाबत् तहसीलदार फागी को आदेश फरमाया जावें । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वादी की आराजीयात् में किसी प्रकार से उपयोग–उपभोग में दखल अंदाजी नहीं करें, न ही अन्य किसी हाली–सीरी ऐजेन्ट–सर्वेण्ट से करावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। दीगर अनुतोष जो मुफीद वादी को अता फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर मान्य न्यायालय में इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाब दावा में वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया वादी उक्त आराजी में 2/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। वादी उक्त आराजी में 2/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा है। नामान्तकरण संख्या 1571 दिनांक 05.05.2012 को विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है जिसमें वादी का 2/5 हिस्सा दर्ज है लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का 2/3 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया है। वादी खातेदार अपने हिस्से की आराजी में 2/3 हिस्से के स्थान पर 2/5 हिस्सा दुरस्त करवाना चाहता है।

वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं वादी ने दस्तावेज जमाबन्दी खसरा नम्बर 776 व नामांतकरण संख्या 1571 दिनांक 05.05.2012 की प्रति एवं स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम डिडावता के खसरा

नम्बर 776 रकबा 2 बिस्वा गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम डिडावता तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है । वादी उक्त आराजी में 2/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा है। नामान्तकरण संख्या 1571 दिनांक 05.05.2012 को विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है जिसमें वादी का 2/5 हिस्सा दर्ज है लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का 2/3 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया है। वादी खातेदार अपने हिस्से की आराजी में 2/3 हिस्से के स्थान पर 2/5 हिस्सा दुरस्त करवाना चाहता है।

वाद पत्र, जवाब दावा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर अंकित किया है ग्राम डिडावता के खसरा नम्बर 776 रकबा 2 बिस्वा गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम डिडावता तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है । वादी का हिस्सा 2/3 गलत दर्ज हो गया तहसीलदार फागी की रिपोर्ट में भी हिस्सा गलत होना स्वीकार किया है एवं प्रतिवादीगण ने अपने इकबालिया जवाब दावा में वाद पत्र स्वीकार किया है वादी ने रिकार्ड पेश किए है। उपरोक्त के आलोक में लोक अदालत की भावना से वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 776 रकबा 2 बिस्वा गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम डिडावता तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है, जिसमे वादी को 2/5 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 4/15 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 4 को 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी हिस्सा 2/3 की जगह हिस्सा 2/5 दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है निर्णय मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो पालना बाबत् तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2017 को राजस्व केम्प कोर्ट ग्रा.पं. मोहब्बतपुरा में सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालतः– उपखण्ड अधिकारी मुकाम फागी, जिला जयपुर।

राजस्व केम्प कोर्ट ग्रा.पं. मोहब्बतपुरा

इजलासः– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

1. जगदीश पुत्र मोहरीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी
   डिडावता, तह. फागी, जिला जयपुर <u>बनाम</u> ओमप्रकाश वगै.

मुकदमा नं. 57/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनेफिसाल कतई रूबरू सावन कुमार चायल आर.ए.एस. ने हाजिरी श्री सीताराम सैनी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू सरकारी पैरोकार प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 776 रकबा 2 बिस्वा गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम डिडावता तह. फागी जिला जयपुर में स्थित है, जिसमे वादी को 2/5 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 4/15 हिस्सा व प्रतिवादीया संख्या 4 को 1/5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी हिस्सा 2/3 की जगह हिस्सा 2/5 दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

निज.....—.....मुबलिग.....—.....बाबत्.....—.....

—.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....—.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....—.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19/6/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुददयलह	रूपये	पैस
स्टाम्प अर्जा दावा			स्टाम्प अर्जा दावा		
स्टाम्प वकालतनाम			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)